



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,
कोलकाता-700 001

दिनांक : 03.01.2023

कार्यालय आदेश सं. 01/2023

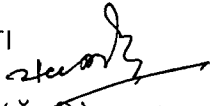
अधोहस्ताक्षरी को यह निदेश दिया गया है कि कार्यालय आदेश संख्या 22/2022 दिनांक 08.12.2022 के आंशिक संशोधन में, श्री अनुपम दास, उ.नि.चा.वि. को प्रदान की गई वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां केवल डीटीआर एंड डीसी, कर्सियांग तक ही सीमित रहेंगी। अब से, श्री अनुपम दास, उ.नि.चा.वि. को क्यूसीएल, सिलीगुड़ी के कार्यों को नहीं बल्कि केवल डीटीआर एंड डीसी, कर्सियांग से संबंधित कार्यों की देखभाल करने का निर्देश दिया जाता है।

इसके अलावा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशित किया गया है, क्यूसीएल, सिलीगुड़ी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के बेहतर समन्वय और सुचारु संचालन के लिए, क्यूसीएल, सिलीगुड़ी की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां डीडीटीडी, सिलीगुड़ी को तत्काल प्रभाव से प्रदान की जा रही हैं बशर्ते चाय अधिनियम, 1953, चाय नियम, 1954, चाय बोर्ड उपनियम, 1955 और कार्यकारी समिति/बोर्ड के अन्य निर्णयों के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

क्यूसीएल, सिलीगुड़ी की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां	
1.	50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) तक की स्वीकृति व्यय प्रति अवसर किसी एक मद पर (विकास कार्य को छोड़कर)
2.	प्रत्येक मामले में (विकास कार्य के अलावा) किसी भी राशि के लिए चेक पर हस्ताक्षर करें, जहां बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से स्वीकृति दी गई है। ऐसे मामलों में, भुगतान वाउचर के साथ मुख्यालय के स्वीकृति पत्र की प्रति संलग्न होनी चाहिए।
3.	1000/- (विकास कार्य के अलावा) एक बार की व्यय सीमा सहित रु.10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) रुपये से अधिक अग्रदाय राशि न रखें ।
4.	किराए, कर, नगरपालिका, जल शुल्क, बिजली/टेलीफोन बिल आदि के भुगतान के लिए जब भी आवश्यकता हो, बिजली फंड ट्रांसफर के लिए बैंक को हस्ताक्षर या चेक या निर्देश।
5.	क्यूसीएल, सिलीगुड़ी के संबंध में बैंक खातों का संचालन
6.	बोर्ड के क्यूसीएल, सिलीगुड़ी से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों के संबंध में स्वीकृत पत्र (विशेष अवकाश को छोड़कर) जिसमें उन्हें छोड़कर सभी संविदा कर्मचारी शामिल हैं।
7.	उन्हें छोड़कर बोर्ड के क्यूसीएल, सिलीगुड़ी से जुड़े सभी अनुबंधित स्टाफ सदस्यों सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के पक्ष में स्वीकृत टीए/एलटीसी अग्रिम ।
8.	उन्हें छोड़कर बोर्ड के क्यूसीएल, सिलीगुड़ी से जुड़े सभी संविदात्मक स्टाफ सदस्यों सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के दौरे के कार्यक्रम को अनुमोदित/सिफारिश करें।

इसके अलावा, डॉ. अनिर्बान बसु मजूमदार, अनुसंधान अधिकारी, क्यूसीएल, क्यूसीएल, सिलीगुड़ी के प्रभारी के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे, जैसा कि कार्यालय आदेश संख्या 25/2020 दिनांक 16.12.2020 में उल्लेख किया गया है और वे डीडीटीडी, सिलीगुड़ी को क्यूसीएल, सिलीगुड़ी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियाँ रिपोर्ट करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इस संबंध में अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।


(**अ. नृ. पिकेश राय**)
सचिव (प्र)

वितरण:-

1.	श्री सुबीर कुमार हाजरा, उ.नि.चा.वि. सिलिगुड़ी	
2.	श्री अनुपम दास, उ.नि.चा.वि., डीटीआर एंड डीसी, कर्सियांग	
3.	डॉ. अनिर्बान बसु मजुमदार, अनुसंधान अधिकारी, क्यूसीएल	
4.	वि.स. एवं मु.ले.अ.	
5.	निचावि	
6.	निदेशक अनुसंधान प्रभारी, मुख्यालय	
7.	उपाध्यक्ष के सचिव	
8.	विस एवं मु.ले.अ./निचावि/सचिव के नि.सह	
9.	आईटी कक्ष	वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
10.	टीबीइए	
11.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियों सहित

संदर्भ. मिसिल सं 7(1)/स्था/2019/पार्ट-III